न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 20/2020

1. कुलविन्द्र कौर पत्नी हरबन्स सिंह उम्र 55 वर्ष अकवाम जोटसिख साकिन
2. दर्शप्रीत पुत्र श्री हरबन्स सिंह उम्र 39 वर्ष } 6 जी प्रथम तहसील
3. हरप्रीत सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह उम्र 38 वर्ष } व जिला श्रीगंगानगर
4. हरबन्स सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह उम्र 65 वर्ष

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. जगदीप सिंह पुत्र हजारी सिंह जाति रामदासिया उम्र 37 वर्ष निवासी खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर (राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा – – प्रार्थीगण
2. श्री रामकुमार गौस्वामी – – अप्रार्थी 1

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17.01.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आवेदकगण का पंजीकृत पता शीर्षक वाद मे अंकित है। आवेदकगण वाके चक 6 जी प्रथम के आवेदकगण मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 3, मे आबादी से प्रवेश कर किला नं. 1, 2 मे से चलकर अपने मुरब्बा नं. 22 मे प्रवेश करते है। मुरब्बा नं. 21 के अनावेदक के नाम की जमाबन्दी का नक्शा संलग्न आवेदन पत्र है। आवेदकगण की भूमि मुरब्बा नं. 22 की भूमि के लिए केवल मात्र रास्ता मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1, 2, 3 मे से है। इस रास्ता के अलावा आवेदकगण की भूमि के लिए कोई रास्ता नही है। आवेदकगण ने अनावेदक से मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 1, 2, 3 मे से रास्ता स्वीकार करवाने का कई बार कहा व इसके बदले मे आवेदकगण डीएलसी की दुगुनी राशि देने को तैयार है परन्तु अनावेदकगण ने आवेदकगण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कल दिनांक 07–02–2020 अनावेदक ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया यही वाद कारण है। आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर. टी. ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण की भूमि के लिए मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 3, 2, 1 भूमि जो अनावेदक के नाम से है में रास्ता स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी. ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 जी छोटी के मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 3, 2, 1 भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता हैं तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं क्योंकि मिन अप्रार्थी ने उक्त रास्ता की ऐवज में आवेदकगण से मुआवजा राशि पूर्व में प्राप्त कर ली हैं।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की मुख्य बहस यह रही कि प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर चक 6 जी प्रथम के मुरब्बा नं. 21 के किला नं. 3, 2, 1 में 0.063 हैक्टर रकबा को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थी द्वारा रास्ते के मुआवजे की मांग नहीं की गई है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराम करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner